न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 88/2015

1 गिरधारीलाल पुत्र स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 इन्द्रलाल पुत्र गिरधारीलाल पौत्र स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 रामलाल पुत्र स्व. लिखमाराम
3 नन्दकिशोर मृत
3/1 मायावती पत्नी स्व. नन्दकिशोर
3/2 संगीता पुत्र स्व. नन्दकिशोर
3/3 संदीप पुत्र स्व. नन्दकिशोर उम्र 16 साल जरिये संरक्षिका माता मायावती पत्नी स्व. नन्दकिशोर समस्त जाति जाट निवासीगण कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकरं
4 नेमीचन्द पुत्र स्व. रामकुमार पौत्र स्व. चुनाराम
5 मोहनी देवी पत्नी रामकुमार
6 कमला देवी पत्नी रणजीत सिंह
7 सुनिता देवी पत्नी शुभकरण
समस्त जाति जाट निवासी कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 पटवारी हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 गिरदावर हल्का बलारा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भू–धारक राज. सरकार।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 284/2011 उनवानी
गिरधारीलाल बनाम इन्द्रलाल आदि दिनांकित
08.06.2015

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल बरवड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री प्यारेलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 284/2011 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती खाता बाबत भूमि खसरा नम्बर 44/2, 67, 71, 89, 113, 37 वाके ग्राम कसवाली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली को देखने से स्पष्ट साबित होता है कि विचारण न्यायालय ने कानून का दुरूपयोग किया है। पत्रावली की आदेशिका में कहीं भी नहीं लिखा है कि रेस्पोडेन्ट के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। विचारण न्यायालय द्वारा न तो उनकी एकतरफा कार्यवाही की गई और ना ही उनका जवाब ही बंद किया गया। गोलमाल आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

लिखकर पत्रावली में निर्णय पारित किया है। जो किसी भी दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की कोई साक्ष्य नहीं ली गई तथा ना ही तथ्यों का विवेचन विश्लेषण व मूल्यांकन किया गया। कल्पना व कयास के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर उपरोक्त विचाराधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट का वाद खारिज करने में भारी भुल की है। विचारण न्यायालय को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प में राज्य सरकार की पुस्तिका के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर व सूचना व सुनवाई का अवसर दिया जाकर राजीनामें से मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए गये थे, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत की भावना से दूर जाकर पक्षकारों में झगड़ा पेदा करने की नियत से वाद बाहुल्यता को बढ़ाने के लिए अपनी मनमर्जी की अदालत लगाकर बिना अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता को सुने ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कानून व नियमों से बाहर जाकर पारित की गई है जो अपने आप में ही खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट दिनांक 12.06.2015 को न्यायालय में गया हुआ था तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को यह कहा कि तुम्हारा किया हुआ तो मैने खारिज करवा लिया है तथा तुम्हारे हक में किया हुआ नामान्तकरण फैसला दिनांक 28.05.2014 की हमने अपील पेश कर दी है। तथा यह तुम्हारे कब्जे की भूमियां दीगर भूमाफियों को विक्रय करके ही दम लूंगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपरोक्त कुचेष्टाओं से बाज रहने हेतु उन्हें जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी ग्राम कसवाली सं. 2060–63 के वादग्रस्त खसरेजात में अन्य खातेदारान के साथ इन्दरलाल पुत्र सुरजा हि. 1/4 दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम उक्त आराजी की खातेदारी में दर्ज नहीं है। इसके अलावा वादी की ओर से अन्य साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है। तथ्यों से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रति. सं. 1 के नाम दर्ज है वादी ने उक्त खातेदारी को चुनौती दी है वाद में प्रति. सं. 1 का नाम फर्जी दस्तावेज के आधार पर आने का कथन किया है लेकिन उसके समर्थन में मौखिक व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

लिखित साक्ष्य पेश नहीं की है। इन्द्रलाल का नाम कब व किस हैसियत से उक्त आराजी में दर्ज हुआ है इस संबंधी नामांतकरण नकल व जमाबंदी की नकल आदि पेश नहीं किये है। वादी ने वाद में जो तथ्य उठाये है, उसे वादी को ही साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रमाणित करना है लेकिन वाद में मौखिक कथनों के अलावा लिखित साक्ष्य पेश नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती खाता बाबत भूमि खसरा नम्बर 44/2, 67, 71, 89, 113, 37 वाके ग्राम कसवाली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 17.04.2015 तक वास्ते पेश करने जवाब दावा नियत चल रही थी। दिनांक 17.04.2015 को आगामी तिथि वास्ते पेश करने जवाब दावा दिनांक 05.06.2015 नियत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 की आदेशिका अंकित किये बिना दिनांक 08.06.2015 को पत्रावली कैम्प रहनावा में रखकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों/विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, जवाब दावा बंद किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष की बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Scanned with OKEN Scanner